प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.07.2025

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाइकिल, 06 स्कूटी (कुल 11 दो पहिया वाहन) व 10 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद।

आज दिनांक 02.07.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाले अन्तर्राजय वाहन चोर गिरोह के 05 शातिर अभियुक्त 1. साजन पुत्र जयभगवान निवासी फ्लैट न0 1942 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष, 2. समीर उर्फ बर्गर पुत्र श्री सलीम निवासी लियाकत चौधरी का मकान गली न0 01 राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष, 3. सूरज पुत्र श्री बच्चन झा निवासी पंकज के मकान में गली न0 03 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष, 4. सद्दाम पुत्र श्री ईस्तकार निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर हाल पता भुस की टाल के पास राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष, 5. नदीम पुत्र श्री फुरकान निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जिला बिजनौर हाल पता भुस की टाल के पास राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को थाना टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचशील कट कोयल एन्कलेव के पास चौकी क्षेत्र तुलसीनिकेत से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(4),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये सभी अभियुक्त आपस में मिलकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल, स्कूटी व मोबाइल फोन चोरी आदि की घटना कारित करते हैं। चोरी किये वाहन को खण्डर जैसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं और मौका मिलते ही उन वाहनों को सस्ते दामों में बेच देते हैं। सभी अभियुक्तों से सख्ती से पूछताछ करने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आये कि ये सभी अभियुक्त चोरी के माल को खरीदने और बेचने का व्यापार भी करते हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर 05 मोटर साइकिल 06 स्कूटी (कुल 11 दो पहिया वाहन) व 10 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. साजन पुत्र जयभगवान निवासी फ्लैट न0 1942 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
2. समीर उर्फ बर्गर पुत्र श्री सलीम निवासी लियाकत चौधरी का मकान गली न0 01 राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
3. सूरज पुत्र श्री बच्चन झा निवासी पंकज के मकान में गली न0 03 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
4. सद्दाम पुत्र श्री ईस्तकार निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर हाल पता भुस की टाल के पास राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
5. नदीम पुत्र श्री फुरकान निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जिला बिजनौर हाल पता भुस की टाल के पास राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 05 मोटरसाइकिल, 06 स्कूटी(कुल 11 दो पहिया वाहन) व 10 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त साजन के विरुद्ध धाना टीलामोड़ पर चोरी के 02 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग व दिल्ली के विभिन्न थानों पर चोरी के 05 अभियोग कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त समीर उर्फ बर्गर के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर अबकारी अधिनियम का 01 अभियोग,चोरी का 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी का 01 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, थाना शालीमार गार्डन पर आयुद्ध अधिनियम का 01 अभियोग व दिल्ली के विभिन्न थानों पर चोरी के 07 अभियोग कुल 12 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सूरज के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के 02 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी के 02 अभियोग, थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग व दिल्ली के विभिन्न थानों पर चोरी के 03 अभियोग कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग व दिल्ली के विभिन्न थानो पर चोरी के 06 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त नदीम के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग व दिल्ली के विभिन्न थानों पर 05 अभियोग कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 30.06.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अमन उर्फ मुर्गा पुत्र इकबाल 2.रोहित उर्फ बोन्ची पुत्र हरपाल 3.राजू पुत्र धर्मपाल 4.हैप्पी पुत्र मुनेश समीर समस्त निवासीगण ग्राम डबाना थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वादी के पुत्र अमन के साथ मारपीट कर गाली गलौच करना व हवाई फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/115(2)/352/131/351(3)/125 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 01.07.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमन उर्फ मुर्गा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम डबाना उम्र करीब 19 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना निवाडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर

उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम के वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त अमन उर्फ मुर्गा उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धमकाने व दहशत फैलाने के लिए वादी के पुत्र अमन के साथ मारपीट व गाली गलौच की थी तथा हवाई फायर करके जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन उर्फ मुर्गा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद,उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मुरादनगर पर मारपीट व छेडछाड के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 02.07.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त साहिल पुत्र शाहिद निवासी अपरकोट लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र उम्र 13 वर्ष के साथ मारपीट करना, गलत काम (कुकर्म) करना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 115(2)/351(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त साहिल पुत्र शाहिद निवासी अपरकोट लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त साहिल उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैंने वादी के नाबालिग पुत्र को होटल के लिये मसाले मंगवाने के बहाने बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की थी और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र शाहिद निवासी अपरकोट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 39,446 /- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 02.07.2025 को साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक अजीत सिह पुत्र श्री राम सिंह निवासी- आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 77 हजार रूपये में 39,446 /- को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP Portal के माध्यम से अजीत सिह पुत्र श्री राम सिंह निवासी- आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ 77 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि 77,000 को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 02.07.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि **39,446** को बैंक से पत्राचार

कर वापस कराया गया। शेष धनराशि की जांच जारी है। आवेदक द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

<u>कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना मसूरी साइबर सेल टीम।